राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2025/63 ✓

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना-पत्र	37/25	24/2/25		10/3/25 17/3/25 24/3/25

अनवान

श्री राजकुमार पुत्र हजारी .... श्री शेरा लाल पुत्र बक्ता ....

निवासी माल का खेड़ा .... निवासी माल का खेड़ा ....

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट   अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार   मदयून

श्री R.D. .... श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

Crim I

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां, भीलवाड़ा

राजकुमार बनाम रोडा

किस्म मुकदमा 111-128 प्रकरण संख्या 37 सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/2/2025	प्रार्थना–पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 10/3/2025 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	तामील प्राप्त
10/3/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17/3/25 को वास्ते पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
17/3/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 24/3/25 को वास्त पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित रहे। विपक्षीगणों को 3 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली में विपक्षीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। आदेश के पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे। पत्रावली कैफ़ियत शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 37/25 तारीख 29/2/25

01. राजकुमार पुत्र हजारी जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माल का खेड़ा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

...........प्रार्थीगण

बनाम

01. रोडालाल पुत्र बक्ता जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. रामचन्द्र पुत्र लादू जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माल का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. देऊ पत्नि प्रमोद जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जलिन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. चान्दमल पुत्र लादुलाल जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. भीमडा पुत्र नाना जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

...........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः 24/2/25

प्रार्थना पत्र हम **हम/मैं राजकुमार पुत्र हजारी जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माल का खेड़ा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)** ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते **मौजा भट खेड़ी पटवार हल्का माल का खेड़ा में स्थित खाता संख्या 84 पर अंकित आराजी संख्या 185/8 रकबा 0.8094 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 83 पर अंकित आराजी संख्या 185/11, 185/6 कुल किता 02 रकबा 1.6188 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा भट खेड़ी पटवार हल्का माल का खेड़ा में स्थित खाता संख्या 84 पर अंकित आराजी संख्या 185/8 रकबा 0.8094 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 83 पर अंकित आराजी संख्या 185/11, 185/6 कुल किता 02 रकबा 1.6188 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड ... बिजौलियां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 37/25 तारीख 24/2/25

प्रेषिति –

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......37....... / 2025 पत्थरगढ़ी बाबत।

01. राजकुमार पुत्र हजारी जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माल का खेड़ा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. रोडालाल पुत्र बक्ता जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. रामचन्द्र पुत्र लादू जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माल का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. देऊ पत्नि प्रमोद जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जलिन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. चान्दमल पुत्र लादुलाल जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. भीमडा पुत्र नाना जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **मौजा भट खेड़ी पटवार हल्का माल का खेड़ा में स्थित खाता संख्या 84 पर अंकित आराजी संख्या 185/8 रकबा 0.8094 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 83 पर अंकित आराजी संख्या 185/11, 185/6 कुल किता 02 रकबा 1.6188 हैक्टेयर भूमि** की वशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रुप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां